कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 3741 / 14–1, दिनांक , मुरादाबाद, जून 23 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– अमरोहा–कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दांयी पटरी पर उ0प्र0 जल निगम नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 55 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या– 2459 / अमरोहा / 25152 / 2017, दिनांक 01.06.2017,

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयक प्रस्ताव में आप द्वारा लगायी गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा से प्राप्त मूल प्रस्ताव की 3 प्रतियां अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है :–

आपत्तियां	निराकरण
1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।	प्रस्तावित स्थल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर कराते हुए सील लगा दी गयी है, जोकि प्रस्ताव के साथ **पेज संख्या– 24** पर संलग्न है।
2– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–11 एवं आफलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–9 पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर कच्चा नाला खोदने की सूचना अपलोड की गयी है व तद्नुसार अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, डिजिटल मैप, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं उक्त स्थल की उपयुक्तता संलग्न की गयी है, किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है, न ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने की वचनबद्वता संलग्न की गयी है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उल्लेख अंकित कर दिया गया है, एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने की वचनबद्वता प्रस्ताव के **पेज संख्या– 45 बी**. पर संलग्न है।
3– मक डिस्पोजल योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं की गयी है।	मक डिस्पोजल योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करते हुए ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है, तथा प्रस्ताव के **पेज संख्या– 47 ए एव 47 बी**. पर संलग्न है।
4– प्रस्ताव के साथ संलग्न पावर ऑफ अटार्नी स्वयं प्रस्तावक द्वारा दी गयी है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। उक्त प्राधिकार पत्र प्रस्तावक अधिकारी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। कृपया तद्नुसार संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन पार्ट–1 पर अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	पावर ऑफ अटार्नी प्रस्तावक द्वारा अपने से वरिष्ठ अधिकारी से निर्गत कराते हुए ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड कर दी गयी है तथा एक प्रति प्रस्ताव के **पेज संख्या– 23** पर संलग्न है।
5– ऑनलाईन पार्ट–1 के बिन्दु बी– 2.4 में अपलोड कम्पोनेन्ट त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें।	ऑनलाईन पार्ट–1 के बिन्दु बी– 2.4 में अपलोड कम्पोनेन्ट की त्रुटि को ठीक कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव के **पेज संख्या– 07 व 08** पर संलग्न है।

संलग्नक–यथोपरि ।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या / 14–1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपिः– 1–प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उनके पत्र संख्या–3800 / 14–1 दिनांक 21.06.2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र / तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2–परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–18 कन्स्टेक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम मुरादाबाद को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त प्रस्ताव पर अपने स्तर से शतत् पैरवी करते हुए प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

(आर0पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।